पंजीकृत

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स न0 – +91-8126660575::
पता –: माई की मढी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :– 1256 /12–1(2) दिनांक 31 / 10 /2024::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :– जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सनबैण्ड–सन–स्यूण्ड–सतेराखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9580 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/119756/2021

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/94/2021/एफ.सी./352 दिनांक 14.06.2023, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–2995 दिनांक 23.06.2023 एवं आपकी पत्र संख्या–72/12–1 दिनांक 11.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से वांछित बिन्दुओं की सूचना अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक–833 दिनांक 13.07.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई तथा उक्त आख्या के अवलोकनोपरान्त एवं भारत सरकार स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र का मौके की स्थिति के अनुसार वांछित सूचना (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) निम्न प्रकार प्रेषित है–

बि.सं.	विवरण	उत्तरालेख
1	The alignment submitted as per the KML differs from the alignment on which the actual work has been carried out. The DFO concerned is requested to inspect the arpea and submit report whether the alignment on which the work has been carried out is the same on which the tree demarcation and land demarcation was carried out. If so the reasons for the submission of erroneous KML is required to be submitted. In case of violation a detailed violation report and action taken report is required to be submitted by the DFO.	• उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत मार्ग के प्रस्तावित संरेखण का मौके पर निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। संबंधित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा उक्त निर्मित संरेखण का दिनांक 03.02.2024 को मौके पर निरीक्षण कार्य किया गया, जिसमें निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की गई। • के0एम0एल0 फाईल के अनुसार प्रस्तावित संरेखण तथा मौके पर निर्मित संरेखण में भिन्नता पाई गई। • के0एम0एल0 फाईल के अनुसार प्रस्तावित संरेखण तथा निर्मित संरेखण के बीच में लगभग 30.00 मीटर से (भिन्न–भिन्न स्थलों पर) 350.00 मीटर तक का फासला (Distance) पाया गया। • प्रस्तावित संरेखण के अन्तिम भाग से लगभग 170.00 मीटर मार्ग का अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें ग्रामीणों के नापखेत प्रभावित हो रहे हैं। • मौके पर निर्मित संरेखण पर ही सीमांकन तथा वृक्षों का छपान/पातन कार्य किया गया है। • उक्त के अतिरिक्त संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.07.2023 के साथ संलग्न निरीक्षण रिपोर्ट के द्वारा अवगत कराया गया कि–के0एम0एल0 फाईल बनाने में त्रुटि होने के कारण निर्मित संरेखण भिन्न प्रतीत हो रहा है।
2	A road has been constructed on alternate route too, which was not there till May 2022. A	• वैकल्पिक संरेखण पर निर्माण कार्य के संबंध में संबंधित प्रस्तावक विभाग पी0एम0जी0एस0वाई0,

01C

	detailed report and action taken regarding violation is requested to be submitted by the State Government.	सिं0ख0, रुद्रप्रयाग से पूछताछ की गई, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वैकल्पिक सरेखण का सम्पूर्ण निर्माण कार्य नाप भूमि के अन्तर्गत है। • वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित भूमि की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु संबंधित राजस्व विभाग के प्रतिनिधि एवं संबंधित फील्ड स्टाफ को साथ मे लेते हुये दिनांक 05.03.2024 को मौके पर निरीक्षण कार्य किया गया। • निरीक्षण में मौके पर वैकल्पिक संरेखण पर लगभग 1367.00 मीटर लम्बाई में निर्माण कार्य पाया गया, जिसमें से लगभग 339.00 मीटर लम्बाई सिविल वन भूमि के अन्तर्गत तथा अधिकत्तर/शेष भाग निजी नाप भूमि के अन्तर्गत पाया गया। नाप भूमि एवं सिविल वन भूमि की मौके पर स्पष्ट रुप से स्थिति स्पष्ट न होने तथा अधिकत्तर भाग नाप भूमि के अन्तर्गत होने के कारण प्रकरण पर उल्लंघन संबंधित कार्यवाही की जानी संभव नहीं हो पाई।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन प्रतियां)

भवदीया

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या— 1256 /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:— अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, (सिं0ख0) रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

o/c

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सिं.ख.), रूद्रप्रयाग।

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

पत्रांकः–833/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/ दिनांक13/07/2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
वन प्रभाग रूद्रप्रयाग,
जनपद रूद्रप्रयाग।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सनबैण्ड–सन–स्यूंड सतेराखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9580 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/119756/2021)**

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक– 8बी/यू0सी0पी0/06/94/2021/एफ0सी0/352 दिनांक 14–06–2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा 02 बिन्दुओं पर आपत्तियां लगायी गई थी। जिसका निराकरण कर आख्या निम्नवत् प्रेषित है :–

क्र0सं0	आपत्तियां	निराकरण
01	The alignment submitted a per the KML differs from the alignment on which the actual work has been carried out. The DFO concerned is requested to inspect the area and submit report whether the alignment on which the work has been carried out is the same on which the tree demarcation and land demarcation was carried out. If so the reasons for the submission of erroneous KML is required to be submitted. In case of violation a detailed violation report and action taken report is required to be submitted by the DFO.	निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
02	A road has been constructed on alternate route too, which was not there till May 2022. A detailed report and action taken regarding violation is requested to be submitted by the State Governmtnt.	ग्रामवासियों के अनुरोध पर Alternate मोटर मार्ग का निर्माण अन्य ग्राम को संयोजित करने हेतु किया गया है।

अतः अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई सिंचाई खण्ड
रूद्रप्रयाग।

योजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सनबैण्ड सन स्यूण सतेराखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9580 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

Online Proposal No-FP/UK/ROAD/119756/2021

निरीक्षण रिपोर्ट

सनबैण्ड सन स्यूण सतेराखाल मोटर मार्ग पर पाया गया कि वृक्षों का छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान स्वीकृत समरेखण में ही किया गया है। मोटर मार्ग के KML निर्मित समरेखण से भिन्न प्रतीत हो रहा है व KML बनाने में त्रृटि के कारण दिखाई दे रहा है। वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार संशोधित KML फाईल तथा Geo Reference Map तैयार किया गया है। जिसके अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छापन/कटान तथा निर्माण कार्य वास्तविक स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है। मार्ग पर पूर्व में ही Penal NPV के तहत जुर्माना लगाया गया था। जिसको विभाग द्वारा जमा भी कर दिया गया था।

J.E

Assistant Engineer-
P.M.G.S.Y. (I.D.)
Rudraprayag

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिं० ख०, रुद्रप्रयाग

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 05/03/2024 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या – 8बी/यू० सी० पी०/06/94/2021/एफ०सी०/352 दिनांक 14/06/2023 के द्वारा 2 बिन्दु के आपत्ति निराकरण से सम्बन्धित श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि रेंज अगस्त्यमुनि के कार्यालय पत्र संख्या 512/12-1 दिनांक 4/03/2024 के क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सन- स्यूण्ड - सेतारतल मोटरमार्ग के वैकल्पिक संरेखण हेतु प्रस्तावित भूमि का मौके पर सर्वेक्षण/संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु वन विभाग राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौके पर उपस्थित हुए संयुक्त निरीक्षण के दौरान मौके पर देखा गया है कि,-

1. उक्त प्रस्तावित मोटरमार्ग का वैकल्पिक संरेखण स्यूण्ड गाँव के अन्तर्गत प्रस्तावित है,
2. वैकल्पिक संरेखण पर निर्माण कार्य किया पाया गया,
3. उक्त भूमि खसरा सं० 528 व 522 श्रेणी - 9 (3) ड़ (बंजर) पर 125 मीटर खसरा संख्या 539 श्रेणी - 10 (1) (गधेरा) पर 12 मीटर एवं खसरा संख्या 542 श्रेणी 9 (3) ड़ बंजर की 202.00 मीटर के साथ - साथ अन्य नाप भूमि पर कुल 1367.00 मीटर मोटरमार्ग का निर्माण कार्य होना पाया गया है, उक्त भूमि स्यूण्ड नामक की सिविल भूमि एवं नापभूमि है,

Nirmala
(निर्मला)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ग्रामकोटी म/ सेतारतल
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद - रुद्रप्रयाग

गौरव भट्ट
(वन दरोगा)

(हस्ताक्षर)
उ० प्र०
पी०एम०जी०एस०वाई०
उपखण्ड

(हस्ताक्षर)
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि